सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 26, बुधवार, *शाके* 1947- सितम्बर 17, 2025 Bhadra 26, Wednesday, Saka 1947- September 17, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

Department of Animal Husbandry

NOTIFICATION

Jaipur, August 28, 2025

S.O.26 .- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015 (Act No. 2 of 2016);

(ii) "Form" means a form appended to these rules; and

(iii) "Government and State" means respectively the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan.

(2) The words and expressions used herein but not defined in these rules shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act.

3. Permit for temporary migration of camel.- (1) Any person seeking permission for temporary migration of camel under sub-section (2) of section 5 of the Act from the famine and scarcity affected areas of the State of Rajasthan to other State for grazing purposes, shall apply in Form-1 to the Competent Authority.

(2) On receipt of application in Form-1, the Competent Authority shall examine and evaluate the circumstances necessitating the proposed migration of camel. After satisfying about the genuineness of the request of applicant he may issue order to the Veterinary Officer/Senior Veterinary Officer of the area to examine the health of the camel and to affix permanent identification mark over the body of migrating camel.

(3) The Veterinary Officer/Senior Veterinary Officer shall issue health certificate in Form-2 and affix permanent identification mark over the body of camel.

(4) The Competent Authority after obtaining health certificate of the camel, shall issue a permit in Form-3 allowing the camel to take out of the State of Rajasthan for grazing purposes. The period for temporary migration of camel shall in no case extend beyond the month of August next following the date of grant of the permit.

(5) On return from temporary migration the applicant shall inform the Competent Authority in Form-4 about the camel brought back by him together with the explanation for variations, if any.

(6) The explanation for variation in the number of camels brought back to the State must be supported with proof.
(7) If any person does not bring back such camel, into the State, and also within a period specified in the permit, shall be liable for punishment under the provisions of the Act.

4. Special permit to export for agricultural or dairy farming purposes.- (1) Any person seeking permission to export of camel under sub-section (7) of section 5 of the Act from any place within the State of Rajasthan to any place outside the State for agricultural or dairy farming purposes shall apply to the Competent Authority in Form-5 for grant of special permit.
(2) On receipt of the application in Form-5, the Competent Authority shall ensure that such export in no way reduces the number of such camels below the level of actual requirement of the local area.
(3) After satisfying about the genuineness of the application, the Competent Authority may issue order to the Veterinary Officer/Senior Veterinary Officer of the area to examine the health of the camels and to affix permanent identification mark over the body of such camels.
(4) The Veterinary Officer/ Senior Veterinary Officer of the area shall issue health certificate in Form-2 and affix permanent identification mark over the body of the camels.
(5) The Competent Authority, after satisfying that the camels shall only be used for agricultural or dairy farming purposes, may issue special permit in Form-6 giving complete details about the camel and place where the camel is proposed to be exported.

5. Special permit for participation in cattle fair.- (1) Any person seeking permission to take the camel outside the State, for participation in the cattle fair under sub-section (7) of section 5 of the Act shall apply in Form-7 to the Competent Authority.
(2) On receipt of the application in Form-7, the Competent Authority shall ensure that such export in no way reduces the number of such camels below the level of actual requirement of the local area.
(3) After satisfying about the genuineness of the application, the Competent Authority may issue order to the Veterinary Officer/Senor Veterinary Officer of the area to examine the health of the camels and affix permanent identification mark over the body of such camels.
(4) The Veterinary Officer/ Senior Veterinary Officer shall issue health certificate in Form-2 and affix permanent identification mark over the body of such camels.
(5) The Competent Authority after satisfying itself about the genuineness of the request of the applicant may issue special permit in Form-8 for participation in cattle fair.
(6) The camel owner, after the cattle fair, on his return shall inform the Competent Authority in Form-4 about number of camels brought back by him together with proof for variation, if any.
(7) If any person does not bring back such camel, into the State, and also within a period specified in the special permit, shall be liable for punishment under the provisions of the Act.

6. **Verification by transporter.-** The transporter before loading of camels shall verify that the valid permit or special permit has been issued for these camels under section 5 of the Act, failing which he shall be liable for punishment under the Act.

7. Permit to be carried by the person in charge.- The person in charge of the camels shall carry with him a valid permit for migration or special permit for export issued under these rules, while carrying them outside the State, failing which he shall be liable to be punished under the Act.

Form-1

Application for permission of temporary migration of camel(s) outside the State of Rajasthan for grazing purposes

[see rule 3 (1)]

To
The District Collector/Competent Authority,
District..... Rajasthan.

Sir/Madam,

I…….son/daughter/wife of…….……R/o……..……. P.O…….Tehsil…….District.....do hereby apply under sub-section (3) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, to obtain the permit for taking out the camel(s) outside the State of Rajasthan for grazing purposes. The description and number of camel(s) are given below:-

1. Number of camel(s):
   Sex of camel(s)
2. Expected day and date of Migration:
3. Probable date of return.
4. Name of the State and place where camel(s)
   will be, migrated and from where migrated.
5. Reason for seeking permit.
6. Period for which the permit is required. From:.....To.....

Place: Signature/ Thumb impression
Date: with complete address of Applicant.

Form-2

Health Certificate

[see rule 3 (3), 4 (4) and 5(4)]

No. Date.....

CERTIFICATE

This is to certify that I Dr……Veterinary Officer/Senior Veterinary Officer Hospital/FGVH/Polyclinic…….District…… have examined the camel described below belonging to Shri.....S/o…… resident of..... Tehsil……. District.....

1. Camel ……..…..Age……..…Sex……..…Breed…..……Colour……..…….
2. If female specify.....
   Pregnant/lactating/dry.
3. Natural identification marks.....
   Permanent identification mark Tag No……..
   Vaccination record……. Date…….

The camel is fit for migration for grazing purposes/export for agricultural or dairy farming purpose/participation in the cattle fair (cross which is not applicable).

Place: Signature of Veterinary Officer/ Senior
Date: Veterinary Officer with seal

Form-3

Permit for temporary migration of the camel(s) outside the State of Rajasthan for grazing purpose

[see rule 3 (4)]

Permit No..... Date…….....

In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, I, District Collector/Competent Authority district.....do hereby allow the camel(s) of following description and number to migrate outside the State of Rajasthan for grazing purpose:-

1. Name of the owner of camel(s).....
2. Complete postal address.....
3. Number of Camel(s)
4. Identification mark of camel(s)
   (Tag No. as per given in the health certificate No……. Date.....)
5. Date of issue of permit.

This permit shall be valid for.....days, w.e.f……to…….

The applicant must bring back the above mentioned camel(s) on or before the expiry of period specified in this permit and report in prescribed form. If there is any variation in number of camel(s) brought back by him, he shall intimate the reasons thereof with proof.

Note: If any person does not bring back such camel(s), into the State and also within a period specified in the permit shall be liable for punishment under the provisions of the Act.

Place: Signature & Designation of Competent
Date: Authority with seal of Office

Form-4

Information of variation in the number of camel(s) brought back to the State of Rajasthan

[see rule 3 (5) and rule 5 (6)]

To

The District Collector/Competent Authority,
District..... Rajasthan.

I…….son/daughter/wife of……..……R/o……..……. P.O……Tehsil…….District.....do hereby apply …… took out the following number of camel(s) for grazing/to participate in cattle fair under permit/ special permit no……. date....
Number of camel(s)
Sex of camel(s)
Permanent identification Mark (Tag no.)

I……..S/o……R/o……District…… …… brought back the following number of camel(s)-

Number of camel(s)
Sex of camel(s)

Under sub-section (5) of section 5 of the Act and sub-rule (5) of rule 3 and sub-rule (6) of rule 5 of these rules, I do hereby intimate the variation in the number of camel(s) brought back to the State with proof as under:

Number of camel(s)…….. Died/sold for agriculture/dairy farming/ purposes in cattle fair.

(In case of death, attach death/post mortem certificate as proof and in case of sale in cattle fair, attach valid sale certificate).

Place: Signature/ Thumb impression with
Date: complete address of Applicant

Form-5

Application for permission of export of the camel(s) outside the State of Rajasthan for Agricultural/Dairy Farming purposes

[see rule 4]

To

The District Collector/Competent Authority,
District……. Rajasthan

Sir/Madam

I……..…….son/daughter/wife of……..……R/o……. P.O……Tehsil…….District.....**.....**do hereby apply under sub-section (7) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act 2015, to obtain the special permit for export of the camel(s) outside the State of Rajasthan for agricultural/dairy farming purposes. The description and number of camel(s) are given below:-

1. Number of camel(s):
   Sex of camel(s):
2. Name and address of the person
   from whom camel(s) were purchased/
   received
3. Reason for seeking permit
4. Name and address of the person
   who will keep purchased camel(s) outside
   the State of Rajasthan
5. Probable date of export.

Place: Signature/ Thumb impression with
Date: complete address of Applicant

Form-6

Special permit for export camel(s) outside the State of Rajasthan for Agricultural/Dairy Farming purposes

[see rule 4 (5)]

Special Permit No..... Date...

In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, I, District Collector/Competent Authority.....district.....do hereby allow the Camel(s) of following description and number to export outside the State of Rajasthan for Agricultural /Dairy farming purposes:-

1. Number of camel(s)
2. Sex of camel(s)
3. Identification mark of camel(s)
   (Tag No. as per given in the health certificate No……. Date…….)
4. Name and address of the person …….
from whom camel(s) purchased/received
5. Name and address of the person ……..... to whom camel(s) are to be exported.

Date: Signature & Designation of competent authority with seal of office

Form-7

Application for export of camel(s) outside the State of Rajasthan for participation in the cattle fair

[see rule 5 (1)]

To
The District Collector/Competent Authority,
District…..... Rajasthan.

Sir/Madam
I…….S/o……..R/o……Tehsil……District……
……..do hereby apply under sub-section (7) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, to obtain the special permit for export of the camel(s) following description and numbers to participate in the cattle fair:-

1. Number of camel(s):
   Sex of camel(s):
2. Name of place & State where camel(s) will be exported.
3. Scheduled date of cattle fair. From.....……..To.....
4. Probable date of export of camel(s),
5. Probable date of return after participation in the Cattle fair.

Place: Signature/ Thumb impression with
Date: complete address of Applicant

Form-8

Special permit for exporting Camel(s) outside the State of Rajasthan for participation in cattle fair

[see rule 5 (5)]

Special Permit No. Date…....

In exercise of the powers conferred under sub-section (7) of section 5 of the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015, I District Collector/Competent Authority…….. District …… do hereby allow the camel(s) of following description and number to export outside the State of Rajasthan for participation in cattle fair at……district……..State……

1. Name and address of the owner……
2. Number of camel(s)
3. Sex of camel(s)
4. Identification mark of camel(s)

(Tag No. as per given in the health certificateNo…… Date……)

5. Date of issue of permit

This permit shall be valid for…… days, w.e.f……..to…….

The applicant must bring back the above mentioned camel(s) on or before the expiry of permit and report in prescribed form. If there is any variation in number of camel(s) brought back by him, he shall intimate the reasons thereof with proof.

Note: If any person does not bring back such camel(s), into the State and also within a period specified in the permit shall be liable for punishment under the provisions of the Act.

Place: Signature & Designation of Competent
Date: Authority with seal of Office

[F. No. FV.24(1)/CDM/2025]
By order of the Governor,
Santosh Karol,
Deputy Secretary to the Government.

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2025

एस.ओ.26 :- राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 (2016 काअधिनियम सं. 2) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "अधिनियम" से राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(ii) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और

(iii) "सरकार और राज्य" से क्रमश: राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमश: समनुदेशित किये गये हैं।

3. ऊंट के अस्थायी प्रव्रजन के लिए परमिट.- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन राजस्थान राज्य के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से अन्य राज्य में चराई के प्रयोजनों के लिए ऊंट के अस्थायी प्रव्रजन की अनुज्ञा चाहने वाला कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-1 में आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप-1 में आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी ऊंट के प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा। आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् वह ऊंट के स्वास्थ्य का परीक्षण करने और प्रव्रजित किये जाने वाले ऊंट के शरीर पर स्थायी पहचान चि ह्न लगाने के लिए क्षेत्र के पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर सकेगा।

(3) पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-2 में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऊंट के शरीर पर स्थायी पहचान चिह्न लगायेगा।

(4) ऊंट का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, ऊंट को चराई के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ले जाने के लिए अनुज्ञात करते हुए प्ररूप-3 में परमिट जारी करेगा। ऊंट के अस्थायी प्रव्रजन की कालावधि किसी भी स्थिति में परमिट की मंजूरी की तारीख के आगामी अगस्त मास से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

(5) अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर आवेदक फेरफारों, यदि कोई हों, के स्पष्टीकरण के साथ उसके द्वारा वापस लाये गये ऊंट के बारे में प्ररूप-4 में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(6) राज्य में वापस लाये गये ऊंटों की संख्या में फेरफार का स्पष्टीकरण सबूत के साथ समर्थित होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर वापस नहीं लाता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

4. कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए निर्यात का विशेष परमिट.- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के भीतर के किसी

भी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ऊंट के निर्यात की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष परमिट की मंजूरी के लिए प्ररूप-5 में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप-5 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊंटों की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(3) आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऊंटों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने और ऐसे ऊंटों के शरीर पर स्थायी पहचान चिह्न लगाने के लिए क्षेत्र के पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर सकेगा।

(4) क्षेत्र का पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-2 में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऊंटों के शरीर पर स्थायी पहचान चिह्न लगायेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी, इस बात का समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऊंट केवल कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जायेंगे,ऊंटों और स्थान, जहां ऊंट का निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, के बारे में संपूर्ण ब्यौरे देते हुए प्ररूप-6 में विशेष परमिट जारी कर सकेगा।

5. पशु मेलों में भाग लेने के लिए विशेष परमिट.- (1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन पशु मेले में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ऊंट को ले जाने की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-7 में आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप-7 में आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊंटों की संख्या किसी भी रूप में स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता से कम न हो जाये।

(3) आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ऊंटों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने और ऐसे ऊंटों के शरीर पर स्थायी पहचान चिह्न लगाने के लिए क्षेत्र के पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर सकेगा।

(4) पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-2 में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे ऊंटों के शरीर पर स्थायी पहचान चिह्न लगायेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में स्वयं का समाधान होने के पश्चात् पशु मेले में भाग लेने के लिए प्ररूप-8 में विशेष परमिट जारी कर सकेगा।

(6) ऊंटस्वामी, पशु मेले के पश्चात्, अपनी वापसी पर अपने द्वारा वापस लाये गये ऊंट की संख्या के बारे में फेरफार, यदि कोई हो, के सबूत के साथ प्ररूप-4 में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और विशेष परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर वापस नहीं लाता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

6. परिवाहक द्वारा सत्यापन.- ऊंटों की लदाई से पूर्व परिवाहक यह सत्यापित करेगा कि अधिनियम की धारा 5 के अधीन इन ऊंटों के लिए विधिमान्य परमिट या विशेष परमिट जारी किया जा चुका है, ऐसा न होने पर वह अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा।

7. प्रभारी व्यक्ति द्वारा परमिट का साथ ले जाया जाना.- ऊंटों का प्रभारी व्यक्ति उन्हें राज्य से बाहर ले जाते समय, इन नियमों के अधीन जारी प्रव्रजन के लिए विधिमान्य परमिट या निर्यात के लिए विधिमान्य विशेष परमिट अपने साथ रखेगा, ऐसा न होने पर वह अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा।

प्ररूप-1

चराई के प्रयोजनों लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के अस्थायी प्रव्रजन की अनुज्ञा के लिए आवेदन

[नियम 3(1) देखिए]

प्रेषिती

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,

जिला .....राजस्थान।

महोदय/महोदया,

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी ..... पो..... तहसील..... जिला..... राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायीप्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन, चराई के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) कोले जाने हेतु परमिट अभिप्राप्त करने के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूं। ऊंट (ऊंटों) का विवरण और संख्या नीचे दी गयीहै:-

1. ऊंट (ऊंटों) की संख्या:

   ऊंट (ऊंटों) का लिंग:
2. प्रव्रजन का प्रत्याशित दिन और तारीख:
3. लौटने की अधिसंभाव्य तारीख:
4. उस राज्य का नाम और वह स्थान जहां

   ऊंट (ऊंटों) प्रव्रजित किये जायेंगे और जहां से प्रव्रजित किये जायेंगे:
5. परमिट चाहने का कारण:
6. वह कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है: ..... से .....तक

स्थान: आवेदक के पूर्ण पते सहित

दिनांक: हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्ररूप-2

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

[नियम 3(3), 4(4) और 5(4)देखिए]

सं. दिनांक.....

प्रमाणपत्र

मैं डॉ. ……पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय/एफजीवीएच/पॉलिक्लिनिक..... जिला.....प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री .....पुत्र ..... निवासी ..... तहसील..... जिला ..... से संबंधित नीचे वर्णित ऊंट का परीक्षण किया है।

1. ऊंट ..... आयु ..... लिंग ..... नस्ल ..... रंग .....
2. यदि मादा है तो विनिर्दिष्ट कीजिए .....
   गर्भवती/दुग्धीय/निर्दुग्ध
3. नैसर्गिक पहचान चिह्न .....
   स्थायी पहचान चिह्न टैग सं. .....
   टीकाकरण अभिलेख दिनांक .....

ऊंट चराई के प्रयोजनों के लिए प्रव्रजन/कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए निर्यात/पशु मेले में भाग लेने के लिए उपयुक्त है (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)।

स्थान: पशु-चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशु-चिकित्सा

दिनांक: अधिकारी के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

प्ररूप-3

चराई के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य से बाहर ऊंट (ऊंटों) के अस्थायी प्रव्रजन के लिए परमिट

[नियम 3(4) देखिए]

परमिट सं. ..... दिनांक .....

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला ..... निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले ऊंट (ऊंटों) को राजस्थान राज्य से बाहर चराई हेतु प्रव्रजन के लिए इसके द्वारा अनुज्ञात करता हूं:-

1. ऊंट (ऊंटों) के स्वामी का नाम .....
2. डाक का पूरा पता .....
3. ऊंट (ऊंटों) की संख्या .....
4. ऊंट (ऊंटों) के पहचान चिह्न

   (स्वा स्थ्य प्रमाणपत्र सं. ..... दिनांक ..... में दिये गये अनुसार टैग सं.)
5. परमिट जारी करने की तारीख।

यह परमिट ..... से ..... तक के ..... दिवस के लिए विधिमान्य होगा।

आवेदक उपर्युक्त वर्णित ऊंट (ऊंटों) को इस परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान पर या उसके पूर्व वापस लायेगा और विहित प्ररूप में रिपोर्ट करेगा। यदि उसके द्वारा वापस लाये गये ऊंट (ऊंटों) की संख्या में कोई भी फेरफार हो, तो वह सबूत के साथ उसके कारणों को सूचित करेगा।

टिप्पण: यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऊंट (ऊंटों) को राज्य में और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर वापस नहीं लाता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

स्थान: सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मुद्रा सहित

दिनांक: हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप-4

राजस्थान राज्य में वापस लाये गये ऊंट (ऊंटों) की संख्या में फेरफार की सूचना

[नियम 3(5) और 5(6) देखिए]

प्रेषिती

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला ..... राजस्थान।

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... पो. ..... तहसील ..... जिला ..... परमिट/विशेष परमिट सं..... दिनांक ..... के अधीन चराई के लिए/पशु मेले में भाग लेने के लिए ऊंट (ऊंटों) की निम्नलिखित संख्या को बाहर ले गया था।

ऊंट (ऊंटों) की संख्या:

ऊंट (ऊंटों) का लिंग:

स्थायी पहचान चिह्न (टैग सं.):

मैं ..... पुत्र ..... निवासी ..... जिला ..... ऊंट (ऊंटों) की निम्नलिखित संख्या वापस लाया हूं-

ऊंट (ऊंटों) की संख्या:

ऊंट (ऊंटों) का लिंग:

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) और इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (5) और नियम 5 के उप-नियम(6) के अधीन, मैं इसके द्वारा निम्नलिखित सबूत के साथ राज्य में वापस लाये गये ऊंट (ऊंटों) की संख्या में फेरफार की सूचना देता हूं:

मृत/पशु मेले में कृषि.डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए विक्रय ऊंट (ऊंटों) की संख्या.....।

(मृत्यु के मामले में, सबूत के रूप में मृत्यु/शव परीक्षा प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए और पशु मेले में विक्रय के मामले में, विधिमान्य विक्रय प्रमाणपत्र संलग्न कीजिए)।

स्थान: आवेदक के पूर्ण पते सहित

दिनांक: हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्ररूप-5

कृषिक/डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के निर्यात की अनुज्ञा के लिए आवेदन

[नियम 4 देखिए]

प्रेषिती

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला ..... राजस्थान।

महोदय/ महोदया

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... पो. ..... तहसील ..... जिला ..... राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (7) को अधीन कृषिक/डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के निर्यात के लिए विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूं। ऊंट (ऊंटों) का विवरण और संख्या नीचे दी गयी है:-

1. ऊंट (ऊंटों) की संख्या:
   ऊंट (ऊंटों) का लिंग:
2. उस व्यक्ति का नाम और पता
   जिससे ऊंट (ऊंटों) को क्रय/प्राप्त किया:
3. परमिट चाहने का कारण:
4. उस व्यक्ति का नाम और पता
   जो राजस्थान से बाहर क्रय किये गये ऊंट (ऊंटों) को रखेगा:
5. निर्यात की अधिसंभाव्य तारीख:

स्थान: आवेदक के पूर्ण पते सहित
दिनांक: हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्ररूप-6

कृषिक/डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के निर्यात के लिए विशेष परमिट

[नियम 4(5) देखिए]

विशेष परमिट सं..... दिनांक.....

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला .....निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले ऊंट (ऊंटों) को राजस्थान राज्य के बाहर कृषिक/डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए निर्यात के लिए इसके द्वारा अनुज्ञात करता हूं:

1. ऊंट (ऊंटों) की संख्या:
   ऊंट (ऊंटों) का लिंग:
2. ऊंट (ऊंटों) के पहचान चिह्न
   (स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सं..... दिनांक ..... में दिये गये अनुसार टैग सं.):
3. उस व्यक्ति का नाम और पता
   जिससे ऊंट (ऊंटों) को क्रय/प्राप्त किया गया था:
4. उस व्यक्ति का नाम और पता
   जिसे ऊंट (ऊंटों) निर्यात किये जायेंगे:

दिनांक: कार्यालय की मुद्रा सहित सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप-7

पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के निर्यात का आवेदन

[नियम 5(1) देखिए]

प्रेषिती

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला ..... राजस्थान।

महोदय/महोदया

मैं..... पुत्र..... निवासी.....तहसील ..... जिला ..... राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले ऊंट (ऊंटों) को पशु मेले में भाग लेने के लिए निर्यात का विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूं:-

1. ऊंट (ऊंटों) की संख्या:
   ऊंट (ऊंटों) का लिंग:
2. उस स्थान और राज्य का नाम
   जहां ऊंट (ऊंटों) को निर्यातकिया जायेगा:
3. पशु मेले की नियत तारीख:..... से .....तक
4. ऊंट (ऊंटों) के निर्यात की अधिसंभाव्य तारीख:
5. पशु मेले में भाग लेने के पश्चात् लौटने की अधिसंभाव्य तारीख:

स्थान: आवेदक के पूर्ण पते सहित
दिनांक: हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्ररूप-8

पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान राज्य के बाहर ऊंट (ऊंटों) के निर्यात के लिए विशेष परमिट

[नियम 5(5) देखिए]

विशेष परमिट सं..... दिनांक.....

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 की धारा 5 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला .....निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले ऊंट (ऊंटों) को राजस्थान राज्य के बाहर राज्य.....जिला..... में पशु मेले में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए निर्यात के लिए इसके द्वारा अनुज्ञात करता हूं:

1. स्वामी का नाम और पता.....
2. ऊंट (ऊंटों) की संख्या:
3. ऊंट (ऊंटों) का लिंग:
4. ऊंट (ऊंटों) के पहचान चिह्न:

(स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सं..... दिनांक ..... में दिये गये अनुसार टैग सं.)

5. परमिट जारी किए जाने की तारीख:

यह परमिट .....से .....तक, ... दिनों के लिए विधिमान्य होगा।

आवेदक उपर्युक्त उल्लिखित ऊंट (ऊंटों) को परमिट के अवसान पर या उसके पूर्व वापस लायेगा और विहित प्ररूप में रिपोर्ट करेगा। यदि उसके द्वारा वापस लाये गये ऊंट (ऊंटों) की संख्या में कोई भी फेरफार हो, तो वह सबूत के साथ उसके कारणों को सूचित करेगा।

टिप्पण: यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर वापस नहीं लाता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

स्थान: कार्यालय मुद्रा सहित सक्षम प्राधिकारी के
दिनांक: हस्ताक्षर और पदनाम

[प.सं .एफ.वी. 24(1)/उष्ट्र विकास मिशन/2025]
राज्यपाल के आदेश से,

संतोष करोल,
शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.